महोदय अधिकार ... गांवों को सांग अभियान 2023 ... तिथि से पूर्व तहसील ... स्थान पर ... को सूचित किया गया। ... दिनांक 8/6/23 को कैम्प कोर्ट 41 C.T. में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

सहमति नहीं हुई। अतः पत्रावली पुनः ... हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली दिनांक 2/8/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

2/8/23
पत्रावली पेश हुई। तकनीकी पक्षाकारान उप पी.ओ. साहब दौरे/अवकाश पर गए हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 22/11/23

22/11/23
पत्रावली पेश हुई। तकनीकी पक्षाकारान उप पी.ओ. साहब दौरे/अवकाश पर गए हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 11/3/24

पत्रावली नियत दिनांक 11/3/24 से पूर्व/बाद में न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरणों में सुनवाई हेतु पारित आदेश अनुसार आगामी नियत दिनांक 28/2/24 को पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक 28/2/24
पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा ... का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 07/05/24 को पेश हो।

सुरेश चाहल
पक्षकार

CN 198/2020

07/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वादी एवं वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम जारिज करने बाबत धारा 151 C.P.C. का पेश कर निवेदन किया गया की प्रार्थी अब उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 C.P.C. का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली बाबत रेकार्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)